उत्तर प्रदेश सरकार

उद्योग अनुभाग-(4)

संख्याः 920/18-4-21(सिक)/87

लखनऊ : दिनांक / 26 मार्च, 1991

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, नई दिल्ली, के द्वारा रूग्ण घोषित औद्योगिक इकाईयों को रिलीफ पैकेज के अन्तर्गत राज्य सरकार से अपेक्षित सुविधाओं के सम्बन्ध में आदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 720/18-4-89, दिनांक 29-4-1989 के द्वारा निर्गत किये गये हैं। इस शासनादेश में अपेक्षित सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिये सचिव समिति का भी गठन किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन ने विचार कर पूर्व में गठित उक्त समिति का निम्नवत् पुर्नगठित करने का निर्णय लिया हैः-

1.	प्रमुख सचिव/सचिव उद्योग विभाग	अध्यक्ष/संयोजक
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, संस्थागत वित्त विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग	सदस्य

2. उक्त समिति को निम्नलिखित बिन्दुओं पर भी निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया जाता हैः-

क. रूग्ण इकाई के वर्तमान/भविष्य के बिक्रीकर अथवा क्रयकर की वसूली के आस्थगन की सुविधा अधिकतम 5 वर्ष तक के लिये प्रदान करने और उसकी वसूली अगले अधिकतम 5 वर्षों में करने के लिये यदि रिलीफ पैकेज के अन्तर्गत ऐसी अपेक्षा की जाती है।

ख. रूग्ण इकाइयों का पुर्नवासन करने हेतु इकाई के बन्द रहने की अवधि के न्यूनतम मांगभार की छूट प्रदान करना बशर्ते कि यह प्रस्ताव इकाई के पुनर्वासन प्रस्ताव में उल्लिखित हो।

3. उक्त सचिव - समिति को पुर्नगठित किये जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों उद्यमों को रूग्ण घोषित करने तथा उनके पुनर्वासन योजना तैयार कराने के लिये बिक्रीकर अधिनियम की धारा-38 के अन्तर्गत भी अधिकृत किया जाता है। यह समिति सार्वजनिक उद्यमों को रूग्ण घोषित करने के लिये वही मानक अपनायेगी जो कि रूग्ण औद्योगिक-कम्पनियां (विशेष उपलब्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 4 के अधीन गठित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के द्वारा निजी क्षेत्र की इकाईयों के लिये अपनाया जाता है।

4. इस सीमा तक उक्त प्रस्तर 1 में संदर्भित शासन का कार्यालय ज्ञाप संख्या-720/8-4-89, दिनांक 29-4-1989 को संशोधित समझा जाय।

(डी.के. मित्तल)

विशेष सचिव।

सं.-920/(1)/18-4-91

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. रजिस्ट्रार, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, अन्सल चेम्बर-11, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेशों से सभी आपरेटिंग एजेन्सी को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, श्रम विभाग, आबकारी विभाग, नगर विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र., कानपुर।

(आलोक टण्डन)

संयुक्त सचिव।